

## Micro तथा Small units से की गई Purchase का पेमेंट 31st March को outstanding रहने पर बड़ी Tax Liability आ सकती है।

इसलिए अभी से Planning करे।

1. Micro and small enterprises से की गई Purchase/Expense का Deduction तभी मिलेगा यदि उसका पेमेंट Supplier से तय किये गये Credit Period (Maximum – 45 दिन) में कर दिया जाता है।
2. यदि कोई Credit Period तय नहीं की गई है तो ऐसे Case में पेमेंट की Terms 15 दिन ही मानी जाएगी। दोनों पार्टियों सहमत हो तो भी इस प्रावधान के लिए 45 दिन से अधिक का समय Allowed नहीं होगा।
3. उदाहरण के तौर पर यदि आपकी 1 Crore की Purchase (Grey Fabric/ Yarn/ Sarees/ Packing Material/ Diamond) का पेमेंट 31st मार्च को 45 दिन से अधिक समय से बाकी है तो 1 Crore आपकी आय में जुड़ जाएँगे और उसपर लगभग 30-35 लाख तक की Tax Liability आ सकती है।
4. Micro enterprise का अभिप्राय ऐसी फ़र्म से है जिसका Plant and Machinery में Investment 1 Crore से ज्यादा नहीं हो और टर्नओवर 5 Crore से ज्यादा नहीं हो।
5. Small enterprise का अभिप्राय ऐसी फ़र्म से है जिसका Plant and Machinery में Investment 10 Crore से ज्यादा नहीं हो और टर्नओवर 50 Crore से ज्यादा नहीं हो।
7. यदि पेमेंट 45 दिन से अधिक समय से बाकी है किंतु Financial Year समाप्त होने से पहले पेमेंट कर दिया जाता है तो ऐसे case में उसका deduction उसी वर्ष में मिल जायेगा।

8. अगर 45 दिन के बाद पेमेंट किया गया है तो उस स्थिति में जिस वर्ष में पेमेंट किया गया है उस वर्ष में उसका deduction मिलेगा ।

9. ऐसी यूनिट से की गई Purchase पर ये प्रावधान लागू होंगे चाहे खरीददार MSME में रजिस्टर्ड हो अथवा नहीं।

10. यदि Income Tax Scrutiny के दौरान आयकर विभाग के cross confirmation से यह पता चलता है की आपका Supplier Micro या Small unit है और उसका payment Time limit के बाद में किया है तो वह उस समय भी Outstanding payment को Income में Add कर सकता है।

11. यह प्रावधान 1/04/2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू हो गया है।